न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर,पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :— अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 191 / 2022

कृष्णलाल पुत्र बीरबल जाति जाट साकिन पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

प्रार्थी

बनाम

1. दयाराम पुत्र बीरबल जाति जाट साकिन पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
2. दलीप पुत्र बीरबल जाति जाट साकिन पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
3. ओमप्रकाश पुत्र देवीलाल जाति जाट साकिन पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ
4. बलराम पुत्र देवीलाल जाति जाट साकिन पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ
5. रामेश्वरी पत्नी देवीलाल जाति जाट साकिन पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (विलोप्ति)
6. लाछा पुत्री देवीलाल जाति जाट साकिन पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

6/1. सुधीर पुत्र नन्दलाल जाति जाट साकिन गोलूवाला सिहाग बास ढ़ाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

6/2. भीमसेन पुत्र नन्दलाल जाति जाट साकिन गोलूवाला सिहाग बास ढ़ाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

6/3. इन्द्रा पत्नी श्री विनोद पुत्र रायसिंह भाम्भू जाति जाट साकिन रामपुरा मसितावाली हेड खेत मे ढ़ाणी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

7. विमला पुत्री देवीलाल जाति जाट साकिन पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
8. बिमला देवी पत्नी देवीलाल जाति जाट साकिन पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ
9. सरोज पुत्री देवीलाल जाति जाट साकिन पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ
10. काशीराम पुत्र साहबराम जाति जाट साकिन पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
11. चेनाराम पुत्र साहबराम जाति जाट साकिन पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ
12. जगदीश पुत्र साहबराम जाति जाट साकिन पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
13. कमला पुत्री साबराम जाति जाट साकिन पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—क राजस्व काश्तकारी अधिनियम

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.07.17 11:00:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री हीरालाल बिरथलिया — प्रार्थी
2. श्री बलवीर मोयल — अप्रार्थी संख्या 2
3. श्री जसपाल सिंह दहिया — अप्रार्थी संख्या अप्रार्थी सं. 3,7,6/1, 6/2
3. राजस्थान सरकार तहसीलदार पीलीबंगा — अप्रार्थी संख्या 3

—:: निर्णय ::—

दिनांक :— 30.06.25

.....

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से **अन्तर्गत धारा 251—क राजस्व काश्तकारी अधिनियम** अप्रार्थीगण के विरूद्ध अधिवक्ता श्री हीरालाल बिरथलिया के द्वारा प्रस्तुत किया गया है यह कि प्रार्थी के नाम से एकल स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 41 एनडीआर के खाता सं. 75 के प.नं. 78/344 के किला नं. 1 ता 4, 7 की कुल 1.265 हैक. कमाण्ड अ.क. मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075—78 दर्ज राजस्व रिकार्ड है । प्रमाणित प्रति जमाबन्दी मय नक्शा संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थी सं. 1 के नाम से एकल स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 41 एनडीआर के खाता सं. 74 के प.नं. 78/344 के किला नं. 11 ता 13, 14/1 कुल 0.885 हैक., मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075—78 दर्ज राजस्व रिकार्ड है । प्रमाणित प्रति जमाबन्दी मय नक्शा संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थी सं. 2 के नाम से एकल स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 41 एनडीआर के खाता सं. 5 के प.नं. 78/344 के किला नं. 8 ता 10, 14/2 कुल 0.886 हैक. मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075—78 दर्ज राजस्व रिकार्ड है प्रमाणित प्रति जमाबन्दी मय नक्शा संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थी सं. 3 ता 13 के नाम से संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 41 एनडीआर के खाता सं. 19 के प.नं. 78/344, 78/345 की कुल 5.972 हैक. कमाण्ड अ.क. मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075—78 दर्ज राजस्व रिकार्ड है प्रमाणित प्रति जमाबन्दी मय नक्शा संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थी सं. 3 ता 13 की कृषि भूमि के प.नं. 78/344 के किला नं. 21 ता 24 प्रत्येक मे 0.025—0.025 हैक. बैजानिव दक्षिणी दिशा पूर्व से पश्चिमी लम्बा रास्ता राजस्व अभिलेख मे स्वीकृत शुदा एवं मौका पर चल रहा है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1—2 की कृषि भूमि को कोई स्वीकृत रास्ता न होने के कारण से अप्रार्थी सं. 3 ता 13 के पूर्वज द्वारा प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1—2 के पिता को किला नं. 17, 24 मे 2—2 बिस्वा घरेलू रास्ता दिया गया और रास्ता के एवज मे किमत प्राप्त कर ली थी, इसके पश्चात प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1—2 के मध्य हुए घरा घरू बंटवारा मे प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि आवगमन करने के लिए किला नं. 14 मे 2 बिस्वा रास्ता दिया गया और प्रार्थी लगातार अपनी कृषि भूमि मे अप्रार्थीगण की कृषि भूमि के किला नं. 14, 17, 24 के पूर्वी दिशा मे घरेलू रास्ता से आवगमन करता आ रहा है तथा कृषि औजार एवं संयत्र उक्त रास्ता से आवगमन करता है और वर्तमान मे भी उक्त घरेलू रास्ता मौका पर चालू है। प्रार्थी की कृषि भूमि को उक्त घरेलू रास्ता के अलावा अन्य कोई नजदीक एवं सरल रास्ता उपलब्ध नही है। जैसा कि उक्त रास्ता काफी समय से चला आ रहा है और रास्ता के एवज मे अप्रार्थी सं. 3 ता 13 के पूर्वज द्वारा कीमत प्राप्त कर ली गई थी । प्रार्थी के पिता बीरबल को कानूनी ज्ञान न होने के कारण राजस्व अभिलेख मे उक्त रास्ता का इन्द्राज नही करवाया गया, इसी का नाजायज फायदा अप्रार्थीगण अब उठाने पर आमादा है और उक्त घरेलू रास्ता को बन्द करना चाहते है तथा प्रार्थी के आवगमन मे हर प्रकार से बाधा उत्पन्न करना चाहते है इसलिए उक्त तत्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए चक 41 एनडीआर

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.07.17 11:00:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़

के प.नं. 78/344 के किला नं. 14, 17, 24 प्रत्येक किला मे 2-2 बिस्वा रास्ता बैजानिव पूर्वी दिशा राजस्व अभिलेख मे स्वीकृत किया जावे।

यह कि अप्रार्थी सं. 14 भूधारक होने के कारण आवश्यक पक्षकार एवं उनकी अहम जबावदेही है।अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण की कृषि भूमि चक 41 एनडीआर के प.नं. 78/344 के किला नं. 14, 17, 24 प्रत्येक किला मे 2-2 बिस्वा रास्ता बैजानिव पूर्वी दिशा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान करे। श्रीमान जी की अति कृपा होगी।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट सरिस्ता दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री बलवीर मोयल हाजिर वकालतनामा प्रस्तुत किया गया शामिल पत्रावली है अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से इकबाल दावा प्रस्तुत किया गया जो इस प्रकार है कि वाद पत्र की दफा 1 राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित है स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित है स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित है स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित है स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 स्वीकार है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1-2 की कृषि भूमि को कोई स्वीकृत रास्ता न होने के कारण से अप्रार्थी सं. 3 ता 13 के पूर्वज द्वारा प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1-2 के पिता बीरबल को किला नं. 17, 24 मे 2-2 बिस्वा घरेलू रास्ता दिया गया और रास्ता के एवज मे किमत प्राप्त कर ली थी, इसके पश्चात प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1-2 के मध्य हुए घरा घरू बंटवारा मे प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि आवगमन करने के लिए किला नं. 14 मे 2 बिस्वा रास्ता दिया गया और प्रार्थी लगातार अपनी कृषि भूमि मे अप्रार्थीगण की कृषि भूमि के किला नं. 14, 17, 24 के पूर्वी दिशा मे घरेलू रास्ता से आवगमन करता आ रहा है। मौका पर रास्ता चालू है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ता को स्वीकृत कर दिया जाता है तो मिन अप्रार्थी को भी सुविधा होगी तथा उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई निकतम एवं सरल रास्ता नही है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 कानूनी है। अतः इकबाल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जकार प्रार्थना पत्र निर्णय किया जावे तो प्रार्थी पूर्णतः सहमत एवं रजामन्द है।

प्रतिवादी संख्या 10 ता 12 स्वयम् हाजिर आये इकबाल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया अप्रार्थी सं. 10 ता 12 की ओर से निम्न प्रकार से है-यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित है स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित है स्वीकार है।यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित है स्वीकार है यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित है स्वीकार है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 स्वीकार है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1-2 की कृषि भूमि को कोई स्वीकृत रास्ता न होने के कारण से अप्रार्थीगण के पूर्वज द्वारा प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1-2 के पिता बीरबल को किला नं. 17, 24 मे 2-2 बिस्वा घरेलू रास्ता दिया गया और रास्ता के एवज मे किमत प्राप्त कर ली थी, इसके पश्चात प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1-2 के मध्य हुए घरा घरू बंटवारा मे प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि आवगमन करने के लिए किला नं. 14 मे 2 बिस्वा रास्ता दिया गया और प्रार्थी लगातार अपनी कृषि भूमि मे अप्रार्थीगण की कृषि भूमि के किला नं. 14, 17, 24 के पूर्वी दिशा मे घरेलू रास्ता से आवगमन करता आ रहा है। मौका पर रास्ता चालू है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ता को स्वीकृत कर दिया जाता है तो अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति व एतराज नही होगा। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 कानूनी है। अतः इकबाल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.07.17 11:00:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर

प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जकार प्रार्थना पत्र निर्णय किया जावे तो प्रार्थीगण पूर्णतः सहमत एवं रजामन्द है।

अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से श्री जसपाल सिंह दहिया अधिवक्ता की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत किया गया शामिल पत्रावली है जवाब अप्रार्थी संख्या 3 इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 अस्वीकार है। प्रार्थी ने प. न. 78/344 व प.न. 78/345 के किला नम्बरों का कही पर भी पूर्ण विवरण नहीं किया है। एंव अन्य तथ्यों का सिद्ध भार प्रार्थी का है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 अस्वीकार है। क्योंकि वाके तहसील पीलीबंगा का चक 41 एन डी आर प.न. 78/344 कि.न. 24 में जहाँ से प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में रास्ता चाहा है वहीं पर मुझ अप्रार्थी सं. 3 की ढ़ाणी बनी हुई है जिसमें मुझ अप्रार्थी अपने परिवार सहित बहुत लम्बे समय से निवास कर रहा है। उक्त चक 41 एन डी आर प.न. 78/344 कि.न. 17 व 24 में कहीं पर भी कोई रास्ता चालू नहीं रहा है एंव ना ही कोई रास्ता अब मौका पर चालू है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में तमाम तथ्य निराधार व मन घड़न्त वर्णित किये है। जो कि अस्वीकार है। जबकि नियमानुसार प्रार्थी किसी प.न. की बाहरी सीमा में कि.न. 21 या 25 से ही रास्ता स्वीकृत करवा सकता है। प्रार्थी मुझ अप्रार्थी न. 3 की रिहायशी ढ़ाणी के बीघा नम्बर 24 में रास्ता स्वीकृत करवाने का हकदार नहीं है। प्रार्थी ने अपनी कृषि भूमि में कभी भी उक्त प.न. 78/344 कि.न. 24 में से बतौर रास्ता आना जाना नहीं किया है। प्रार्थी को वाके तहसील पीलीबंगा का चक 41 एन डी आर का प.न. 78/344 कि.न. 11, 20, 21 की पश्चिम दिशा की सींव पर 3 बीघा लम्बा व पूर्व पश्चिम 1 बिस्वा चौड़ा रास्ता गै. मु. खाला के साथ साथ लगता हुआ रास्ता की मांग प्रार्थी को करनी चाहिये ताकि मुझ अप्रार्थी न. 3 की रिहायशी ढ़ाणी को नुकसान ना पहुंचे। प्रार्थी को इस प्रकार से रास्ता स्वीकृत करवाने की एवज में अप्रार्थी न. 3 को भूमि देकर रास्ता स्वीकृत करवाने की मांग प्रार्थी को करनी चाहीये या प्रार्थी उक्त प.न. 78/344 के कि.न. 15, 16, 25 की पूर्व दिशा की सींव पर 3 बीघा लम्बा व पूर्व – पश्चिम 1 बिस्वा चौड़ा रास्ता को स्वीकृत करवाने की एवज में सम्बन्धित को भूमि देकर रास्ता स्वीकृत करवाने की मांग प्रार्थी को करनी चाहीये वहीं से प्रार्थी अपनी कृषि भूमि को आना जाना भी करता आ रहा है। प्रार्थी ने सही तथ्यों को छुपा कर प्रार्थना पत्र पेश किया है। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है। इस प्रकरण में चाहा गया रास्ता के सम्बन्ध में तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा द्वारा सही रिर्पोट नहीं भेजी गई है। जिससे श्री मान जी स्वयं मौका निरिक्षण करने की कृपा करें या तहसील दार राजस्व पीलीबंगा के जरिये पूर्व में भेजी गई मौका की रिर्पोट के पटवारी एंव गिरदावर के अलावा अन्य पटवारी गिरदावर को वर वक्त मौका रिर्पोट साथ भेज कर तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा से चाहा गया रास्ता के सम्बन्ध में रिर्पोट मगवाई जावे। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 अस्वीकार है। अतः उपरोक्त अनुसार जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आवागमन के लिए पूर्व में ही चाहा गया रास्ता के अलावा रास्ता मौजूद है एवं प्रार्थी के द्वारा चाहा गया उक्त प.न. 78/344 कि.न. 17 व 24 में रास्ता कभी भी चालू नहीं रहा। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता विधि सम्मत्त नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.07.17 11:00:31 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या 7 की ओर से श्री ज[illegible] हाजिर होकर वकालतनामा मय जवाब प्रार्थना पत्र प्र[illegible] किया गया है [illegible] पत्रावली है।अप्रार्थी न. 7 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र इस प्रकार से है कि यह कि [illegible]र्थना पत्र की दफा 1 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 अस्वीकार है। प्रार्थी ने प.न. 78/344 व प.न. 78/345 के किला नम्बरों का कही

सहायक कलक्टर
पीलीबं[illegible]
जिला हनु[illegible]

पर भी पूर्ण विवरण नहीं किया है। एंव अन्य तथ्यों का सिद्ध भार प्रार्थी का है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 अस्वीकार है। क्योंकि वाके तहसील पीलीबंगा का चक 41 एन डी आर प.न. 78/344 कि.न. 24 में जहाँ से प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में रास्ता चाहा है वहीं पर अप्रार्थी सं. 3 औमप्रकाश की ढ़ाणी बनी हुई है जिसमें अप्रार्थी न. 3 अपने परिवार सहित बहुत लम्बे समय से निवास कर रहा है। उक्त चक 41 एन डी आर प.न. 78/344 कि.न. 17 व 24 में कहीं पर भी कोई रास्ता चालू नहीं रहा है एंव ना ही कोई रास्ता अब मौका पर चालू है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में तमाम तथ्य निराधार व मन घड़न्त वर्णित किये है। जो कि अस्वीकार है। जबकि नियमानुसार प्रार्थी किसी प.न. की बाहरी सीमा में कि.न. 21 या 25 से ही रास्ता स्वीकृत करवा सकता है। प्रार्थी अप्रार्थी न. 3 की रिहायशी ढ़ाणी के बीघा नम्बर 24 में रास्ता स्वीकृत करवाने का हकदार नहीं है। प्रार्थी ने अपनी कृषि भूमि में कभी भी उक्त प.न. 78/344 कि.न. 24 में से बतौर रास्ता आना जाना नहीं किया है। प्रार्थी को वाके तहसील पीलीबंगा का चक 41 एन डी आर का प.न. 78/344 कि.न. 11, 20, 21 की पश्चिम दिशा की सींव पर 3 बीघा लम्बा व पूर्व पश्चिम 1 बिस्वा चौड़ा रास्ता गै. मु. खाला के साथ साथ लगता हुआ रास्ता की मांग प्रार्थी को करनी चाहिये ता कि अप्रार्थी न. 3 की रिहायशी ढ़ाणी को नुकसान ना पहुंचे प्रार्थी को इस प्रकार से रास्ता स्वीकृत करवाने की एवज में अप्रार्थी न. 3 व 7 को भूमि देकर रास्ता स्वीकृत करवाने की मांग प्रार्थी को करनी चाहीये या प्रार्थी उक्त प.न. 78/344 के कि. न. 15, 16, 25 की पूर्व दिशा की सींव पर 3 बीघा लम्बा व पूर्व – पश्चिम 1 बिस्वा चौड़ा रास्ता को स्वीकृत करवाने की मांग प्रार्थी को करनी चाहीये वहीं से प्रार्थी अपनी कृषि भूमि को आना जाना भी करता आ रहा है। प्रार्थी ने सही तथ्यों को छुपा कर प्रार्थना पत्र पेश किया है। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है। इस प्रकरण में चाहा गया रास्ता के सम्बन्ध में तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा द्वारा सही रिर्पोट नहीं भेजी गई है। जिससे श्री मान जी स्वयं मौका निरिक्षण करने की कृपा करें या तहसील दार राजस्व पीलीबंगा के जरिये पूर्व में भेजी गई मौका की रिर्पोट के पटवारी एंव गिरदावर के अलावा अन्य पटवारी गिरदावर को वर वक्त मौका रिर्पोट साथ भेज कर तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा से चाहा गया रास्ता के सम्बन्ध में रिर्पोट मगवाई जावे। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 अस्वीकार है। अतः उपरोक्त अनुसार जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आवागमन के लिए पूर्व में ही चाहा गया रास्ता के अलावा रास्ता मौजूद है एवं प्रार्थी के द्वारा चाहा गया उक्त प.न. 78/344 कि.न. 17 व 24 में रास्ता कभी भी चालू नहीं रहा । प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता विधि सम्मत्त नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। श्री मान जी की अति कृपा होगी।

अप्रार्थी संख्या 1,4 ता 6,8,9 की रजिस्टर एडी बाद तामिल प्राप्त होने पर हाजिर नहीं होने पर एक पक्षिय कार्यवाही जारी शुदा है। अप्रार्थी संख्या 13 की रजिस्टर एडी बाद तामिल प्राप्त है हाजिर नहीं होने के कारण एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। प्रकरण में तहसीलदार पीलीबंगा से रिपोर्ट पत्रांक 378 दिनांक 01.05.25 से प्राप्त की गई है मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता मौके पर चालू नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते में आने वाली भूमि से सम्बन्धित खाते के सम[illegible]कारान् को पक्षकार बनाया गया है। अप्रार्थीगण में क्र.सं. 08 व 09 [illegible] 12 में भी अप्रार्थीगण कि वल्दियत में त्रुटि है। प्रार्थी द्वारा चाहे [illegible] भूमि में पूर्व में भी कोई स्वीकृतशुद्धा रास्ता नहीं लगता हैं। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता के अलावा अन्य कोई कम दूरी का रास्ता नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर चालू नहीं है।

सहायक कलक्टर
पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.07.17 11:00:31 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा मुताबिक प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया गया। उक्त अनवान के प्रकरण में अप्रार्थी सं. 3,7,6/1, 6/2 की ओर से लिखित बहस निम्न प्रकार से है।

यह कि तहसील पीलीबंगा का चक 41 एन डी आर का प.न. 78/344 कि.न. 17 ता 24 की कृषि भूमि हम अप्रार्थीगण के संयुक्त खाता की कृषि भूमि है जो हमारे हक व हिस्सा अनुसार हमारे कब काश्त में है। उक्त कि.न. 24 में अप्रार्थी औमप्रकाश की पक्की रिहायशी ढ़ाणी बनी हुई है जिसमें वह परिवार सहित पिछले 40 वर्षो से निवास कर रहा है। उक्त प.न. 78/344 के किन. 1 ता 4, 7 ता 14 की कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी न. 1 व 2 की कृषि भूमि है। उक्त प्रार्थी व अप्रार्थी न. 1 व 2 की कृषि भूमि इन्हें अपने पिता स्वः बीरबलराम से विरासत में प्राप्त हुई है। प्रार्थी ने अपनी कृषि भूमि में आवागमन के लिये उक्त प.न. के कि.न. 17 व 24 में से रास्ता स्वीकृत करवाने की मांग की है। जबकि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता कभी भी चालू नहीं रहा है एंव ना ही मौका पर चालू है तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा की रिर्पोट अनुसार भी प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता मौका पर चालू नहीं है। प्रार्थी व अप्रार्थी न. 1 व 2 अपनी उक्त कृषि भूमि में आने जाने के लिये हम अप्रार्थीगण की संयुक्त खाता की उक्त कृषि भूमि के कि.न. 20, 21 पक्का खाला के लगते हुए भूमि को रास्ता के तौर पर उपयोग कर रहें हैं। प्रार्थी ने झूठे व निराधार तथ्यों पर अपना मूल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। एंव रंजिश वंश उक्त कि.न. 24 में अप्रार्थी औमप्रकाश की जहाँ रिहायशी ढ़ाणी बना हुई है। उसी स्थान पर से रास्ता की मांग गल्त की है। जो न्यायसंगत नहीं है। फिर भी गैर. मु. रास्ता किसी मुरब्बा की पत्थर लाईन पर ही स्वीकृत किया जाना न्यायोचित होता है। किसी मुरब्बा के बीच के बीघों में रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित नहीं होता है। इसलिये हम अप्रार्थीगण की संयुक्त खाता की चक 41 एन डी आर के प.न. 78/344 की उक्त कृषि भूमि के किला न. 20,21 पक्का खाला के लगते हुए उत्तर –दक्षिण 2 बीघा लम्बा व 1 बिस्वा पूर्व से पश्चिम रास्ता स्वीकृत किया जाकर इसकी एवज में विधि विभाग अधिसूचना दिनांक 05.09.23 के अनुसरण में हम अप्रार्थीगण को प्रार्थी न. 1व 2 से हमारे चिपती हुई प.न. 78/344 किला न. 11 ता 14 में कृषि भूमि दी जावे। उपरोक्तानुसार हम अप्रार्थीगण की ओर से लिखित बहस पेश है जिसके अनुसार प्रकरण में निर्णय किया जावे।

प्रकरण में हमारे स्वयम् द्वारा मौका निरिक्षण पटवारी एवं भू अभिलेख निरिक्षक की उपस्थिति में किया गया। किला संख्या 24 की सींव पर अप्रार्थी संख्या 3 की ढाणी स्थित है अप्रार्थी संख्या 3 किला संख्या 20–21 में रास्ता हेतु निवेदन किया गया जिसका भी मौका निरिक्षण में किया गया जो कि अबाधित एवं अधिक उचित रास्ता है अप्राथीगण को जिसपर आपत्ति भी नहीं है इस लिए चुंकि चक 41 एन डी आर के प.न. 78/344 किला न 24 में अप्रार्थी का सींव पर ढाणी होने के कारण प्रश्नगत चक एवं प.न. के ही किला न. 20,21 पक्का खाला के लगते हुए उत्तर –दक्षिण 2 बीघा लम्बा व 1 बिस्वा पूर्व से पश्चिम रास्ता राजस्व काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए के तहत स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार प्रतिकर के रूप डीएलसी की दुगना राशी जमा करवाया जाकर रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर किसी न्यायालय का स्थगना ओदश न होने की स्थिति में अमलदारामद करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.07.17 11:00:31 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो। यह आदेश आज दिनांक 30.06.25 सरे ईजलास पढ़कर सुनाया गया।

(अमिता बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर